न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1195 सन 2026

(CNR No. UPFT-010031102026)

शिवभवन सिंह पुत्र स्व0 जय सिंह निवासी ग्राम पधारा थाना बकेवर जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 51 सन 2026

धारा: 110, 115, 333, 352 व 351(3) भारतीय न्याय संहिता

थाना: बकेवर, जनपद फतेहपुर।

10.07.2026 :

आवेदक/अभियुक्त शिवभवन सिंह की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 51 सन 2026 धारा 110, 115, 333, 352 व 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना बकेवर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से स्वयं आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ज्ञान प्रकाश पाण्डेय ने दिनांक 01.04.2026 को सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 31.03.2026 को उसका पुत्र आयुष पाण्डेय अपने घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था, उसी समय पुरानी रंजिश के कारण समय लगभग 19:00 बजे उसके पुत्र आयुष पाण्डेय को शिवभवन सिंह ने आकर गाली गलौज करते हुए हाथ में लिये कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया जिससे उसके पुत्र आयुष पाण्डेय के सिर में गम्भीर चोटें आ गयी एवं सीने पर लात घूसों से मारा जिसके कारण उसका लड़का बहोश हो गया एवं शोर सुनकर गांव के काफी लोग मौके पर आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया तो शिवभवन सिंह उसके पुत्र व पूरे परिवार को मार

डालने की धमकी देते हुए अपने घर की ओर चला गया। वह अपने पुत्र को एम्बुलेंस बुलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्दकी इलाज हेतु ले गया, वहां से जिला अस्पताल रेकर दिया।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध नहीं बनता है। प्राथमिकी एवं चिकित्सीय आख्या में विरोधाभास है। चोटहिल की चोटें साधारण प्रकृति की है और कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है। चिकित्सक द्वारा एक्सरे हेतु सन्दर्भित नहीं किये गया किन्तु फर्जी एक्सरे रिपोर्ट तैयार करायी गयी है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र को गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी व लात घूसों से मारापीटा जिससे उसे गम्भीर चोटें आयी। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने वादी के पुत्र आयुष पाण्डेय को गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी व लात घूसों से मारापीटा जिससे उसे गम्भीर चोटें आयी है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। अभिकथित घटना दिनांक 31.03.2026 को 19:00 बजे की बतायी गयी है और इसकी प्राथमिकी दिनांक 01.04.2026 को 01:22 बजे दर्ज करायी गयी है। अभियोजन प्रपत्रों/चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार चोटहिल आयुष पाण्डेय के सिर पर चोट होने का उल्लेख किया गया है और दिनांक 02.04.2026 को हुए चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर चार चोटें, एक सिला हुआ घाव सिर पर व तीन खरोंच की चोटें चेहरे, घुटने व सीने पर दर्शित की गयी है तथा उसकी सी0टी0स्कैन रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर पर फ्रैक्चर पाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्राथमिकी में कुल्हाड़ी से मारने का उल्लेख है किन्तु धारदार हथियार की कोई चोट नहीं पायी गयी है और कथित चोटहिल की चोटें प्राणघातक नहीं है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य संकलित कर विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना थाने से मुचलके पर रिहा था। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा एवं एवं विधि व्यवस्था Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and Ors. (2022) 10 SCC 51 तथा दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 6400 सन 2025 Smt. Bacchi Devi Vs. State of U.P. and Another में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2025 को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शिवभवन सिंह की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को मुकदमा अपराध संख्या 51 सन 2026 अन्तर्गत धारा 110, 115, 333, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना बकेवर जनपद फतेहपुर के मामले में विचारण पूर्ण होने तक गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की सूरत में आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये –

1– आवेदक/अभियुक्त स्वयं को किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष तलब किये जाने पर पेश करेगा; प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से भिज्ञ है, किसी पुलिस अधिकारी या अदालत के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए उत्प्रेरित नहीं करेंगें न उसे धमकी देंगें और न ही उससे कोई ऐसा वचन लेंगें। वह बगैर न्यायालय की अनुमति के 'भारत' नहीं छोंडेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 चैप्टर 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगे–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगी, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होगा तथा विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगे, स्थगन नहीं लेगा।

5– उपरोक्त में से किसी भी शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

दिनांक: 10.07.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.10 16:18:28 +05'30'